

राज भवन, लखनऊ

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर
नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या-01/2020

दिनांक 03 फरवरी, 2020


किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, जो कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 16(1) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा। केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध अथवा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तथा जीवनवृत्त (02 प्रतियों में) अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ-226027 (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 29 फरवरी, 2020 तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से अथवा ऑन लाइन प्रेषित कर सकते हैं। पोस्ट से प्रेषित लिफाफे पर "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति पद के लिए आवेदन" अवश्य लिखा जाये।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश